

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

सी०एम० नम्बर-1051/2022

राधिका बनाम नितीश कुमार

24.05.2023

पत्रावली पेश की गयी। बार-बार पुकार करायी गयी। पुकार पर न तो आवेदिका उपस्थित आयी, न ही उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय हाजिर है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका प्रश्नगत मामले को आगे चलाना नहीं चाहती है तथा उसे इस मामले में कोई रुचि नहीं रह गयी है। अतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रा०प० अन्तर्गत धारा-156(3) द०प्र०सं० अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सी०जे०एम०, कुशीनगर